



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02072026-274021
CG-TL-E-02072026-274021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3363]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3363]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 3 जून, 2026

का.आ.3498(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 23 मई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का. आ. संख्या 2299(अ), तारीख 20 मई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपावधद अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई दोहरिकरण परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात् "लोकमत टाइम्स", "नवभारत" और, "नवराष्ट्र" में तारीख 04 जून 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सायागांव गांव में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले के सायागांव गांव मे उप. विभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण के लीए, येवला के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु, "छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई दोहरिकरण परियोजना.

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना "छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई दोहरिकरण के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संरचनओं सहित या ऊनके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ क्र	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका एवं जिला	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली क्षेत्र	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी)	Assets			अभ्युक्ति
									बिहीर/कूपनलिका	निर्माण	पेड	
1	मामला सं.05/25 भूसंपादन/कावि/313/2026	सायागाव	येवला	जिजाबाई भानुदास कुलधर, भानुदास बंदेराव कुलधर, बाळनाथ बंदेराव कुलधर	68	1	3.88	0.03	-	-	-	-
2				बाळनाथ बंदेराव कुलधर	82	1	2.43	0.07	-	-	-	-
3				शुभम बाबासाहेब जठार, जयश्री बाबासाहेब जठार, कचरू कारभारी जठार, कांताबाई नामदेव जठार, अशोक पांडुरंग कुलधर, बाळनाथ बंदेराव कुलधर.	83	1	4.60	0.07	-	-	-	-

4				लहानू दादा ढाकणे, दादा रामा ढाकणे, रंगनाथ किसन ढाकणे, भागा रामा ढाकणे, बंडू दादा ढाकणे, काशीनाथ विठ्ठल ढाकणे, सुदाम विठ्ठल ढाकणे, बाळू विठ्ठल ढाकणे, सुल्याबाई बाबुराव इप्पर, सोन्याबाई विठोबा उगले, चंद्रभागा अशोक नागरे	310	1	0.06	0.01	-	-	-	-	
5				दिलीप बंडू ढाकणे, नवनाथ बंडू ढाकणे.	311	1	2.22	0.08	बोअरवेल-1 पीव्हीसी पाईपलाईन-1 (230 मीटर)				
6				बंडू दादा ढाकणे	324	1	0.58	0.07.50	-	-	-	-	
				एकूण				0.33.50					

[फा.सं. E-313959/20E/270626]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 3rd June, 2026

S.O. 3498(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2299 (E) dated the 23 May 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 20 May 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) - Ankai Doubling project**” in the District of Nashik in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Paper “**Lokmat Times**” “**Navbharat**” & “**Navarashtra**” dated 04 June 2025, under sub section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, in **Saygaon** village, objections were not received and accordingly report have been passed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E). of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

“Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) - Ankaï Doubling project” in Saygaon Village of Nashik District, Under Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Yeola and Competent Authority for Land Acquisition, Yeola for Land Acquisition in the state of Maharashtra.

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) - Ankaï Doubling project”** in the State of Maharashtra.

S. No	Land Acquisition Case No.	Name of the Village	Taluka & District	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)	ASSETS			Remarks
									Well, / Bore	Constructions	Trees	
1	Case No.05/25 LA/Kavi/313/2026	Saygaon	Yeola	Jijabai Bhanudas Kuldhar, Bhanudas Banderao Kuldhar, Balnath Banderao Kuldhar	68	1	3.88	0.03	-	-	-	-
2				Balnath Banderao Kuldhar	82	1	2.43	0.07	-	-	-	-
3				Shubham Babasaheb Jathar, Jayshri Babasaheb Jathar, Kacharu Karbhari Jathar, Kantabai Namdev Jathar, Ashok Pandurang Kuldhar, Balnath Banderao Kuldhar.	83	1	4.60	0.07	-	-	-	-

4				Lahanu Dada Dhakane, Dada Rama Dhakane, Ranganath Kisan Dhakane, Bhaga Rama Dhakane, Bandu Dada Dhakane, Kashinath Vitthal Dhakane, Sudam Vitthal Dhakane, Balu Vitthal Dhakane, Sulyabai Baburao Ippar, Sonyabai Vithoba Ugale, Chandrbhaga Ashok Nagare	310	1	0.06	0.01	-	-	-	-	
5				Dilip Bandu Dhakane, Navanath Bandu Dhakane.	311	1	2.22	0.08	Borewell-1 PVC Pipeline -1 (230 meter)				
6				Bandu Dada Dhakane	324	1	0.58	0.07.50	-	-	-	-	
				Total				0.33.50					

[F. No. E-313959/20E/270626]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V